सी.एस.आई.आर.–हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
पोस्ट बॉक्स नं 06, पालमपुर–176061 (हि.प्र.)

टेलीफोन / फैक्स: 91–1894–230425, ई–मेल:spo@ihbt.res.in

निदेशक, सी.एस.आई.आर.–हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर द्वारा अनुपयोगी सामग्री **मिश्रित स्क्रैप** जैस **लोहा, लोहा जाली, एल्युमिनियम, एंगल तार ब अनय लोहे का सामान एलेक्ट्रिकल फिटटिंग्स, इलैक्ट्रिकल तार के टुकड़े आदि** के निष्पादन हेतु अनुपयोगी / अवशिष्ट वस्तुओं की लॉट 1 के हिसाब से बिक्री हुतु निविदाएं आमंत्रित हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों की जानकारी निविदा–पत्र में दी गयी हैं। जो संस्थान की वैबसाईट http://www.ihbt.res.in पर निशुल्क या प्रार्थनापत्र के साथ रुपये 300 का डिमांड ड्राफ्ट अप्रतिदेय (नॉन–रिफंडेबल), निदेशक, सी.एस.आई.आर.–आई.एच.बी.टी पालमपुर (हि.प्र) के पक्ष में जमा करने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 16.12.2019, अपराह्न 12.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

निविदाओं की खुलने की तिथि 16.12.2019, अपराह्न 03.00 बजे (आईएसटी) है।

एस. ज्ञान प्रकाश

नियंत्रक, भण्डार एवं क्रय

सी.एस.आई.आर.–हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
पास्ट बॉक्स नं 06, पालमपुर–176061 (हि.)
टेलीफोन/फैक्सः 91–1894–230425, ई–मेलः spo@ihbt.res.in

सं. आई.एच.बी.टी/सीएस/12/2019

दिनांकः 06/12/2019

महोदय,

निदेशक, सीएसआईआर.–हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से अनुपयोगी/अवशिष्ट सामग्री के निपटान के लिए संलग्नक सूची के अनुसार मोहरबंद निविदाएं निम्नलिखित नियम एवं शर्तों तथा विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैं:

1. सामग्री को किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 06.12.2019 से लेकर 13.12.2019 तक प्रातः 10.बजे से सायं 4.00बजे तक निरीक्षित किया जा सकता है।
2. निविदा दस्तावेज विस्तृत शर्तों, नियमों, समयसारणी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस (तकनीकी विनिर्देश) के साथ आई.एच.बी.टी. की वैबसाईट http://www.ihbt.res.in से बिना शुल्क से डाऊनलोड करके भरे जा सकते हैं। प्रार्थनापत्र के साथ रुपये 300 का डिमांड ड्राफ्ट अप्रतिदेय (नॉन–रिफंडेबल), **"निदेशक, सी.एस.आई.आर.–आई.एच.बी.टी पालमपुर (हि.प्र)"** के पक्ष में दे करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 6.12.2019 से लेकर 16.12.2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. निविदा को दोहरे मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें जिस पर **अनुपयोगी/अवशिष्ट सामग्री के निपटान** हेतु लिखा हो। बाहरी तथा अंदर दोनों लिफाफों पर निविदा खुलने की तिथि तथा समय लिखा हो। इन निविदाओं को दिनांक 16.12.2019, अपराह्न 01.00 बजे तक स्वीकार किया जाएगा तथा उपस्थित निविदाकर्ताओं की उपस्थिति मे 16.12.209, अपराह्न 03.00 बजे तक उक्त को खोला जाएगा।
4. निविदा में जैसा कि पूछा गया है कि सामग्री का मूल्य प्रति लॉट के हिसाब से अंकों व शब्दों में दिया जाए।
5. निविदा को संस्थन के भण्डार में रखे निविदा बॉक्स में निर्धारित तिथि तक डालना होगा। यदि इसे डाक द्वारा भेजा जाता है तो उसे पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भंडार एवं क्रय नियंत्रक, सी.एस.आई.आर.–हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं 06, पालमपुर–176061 (हि.प्र.) के पते पर भेजें। निविदाकर्ता इस बात को सुनिश्चित कर लें कि निविदा को समय रहते भेजा जाए ताकि निर्धारित तिथि व समय तक पहुँच जाए।
6. बोली प्रतिभूति राशि के रूप में निदेशक, सी.एस.आई.आर.–आई.एच.बी.टी, पालमपुर के नाम प्रति लॉट उदद्ध राशि का 10 प्रतिशत रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया हो, निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
7. सफल निविदाकर्ता को पहले से ही जमा बोली प्रतिभूति राशि घटाकार शेष राशि का भुगतान निदेशक, सी.एस.आई.आर.–आई.एच.बी.टी, पालमपुर के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अवार्ड पत्र जारी होने के पांच दिन के भीतर करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट को जमा करवाने के बाद ही सामग्री की सुपुर्दगी होगी।
8. निविदाएं प्रस्तुत करने के बाद अथवा सामग्री ले जाने से पूर्व अथवा बाद में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा प्रस्तुत करने के बाद सामग्री की जाँच अथवा सैंपल की मांग का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. सफल निविदाकर्ता जिसकी निविदा स्वीकार कर ली गई होगी तथा इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि के बाद सात दिन के भीतर उसकी राशि का भुगतान करने के बाद सामग्री को उठाना होगा।

10. यदि उपर्युक्त के अनुसार सामग्री को नहीं उठाया जाता है तो उन्हें प्रति खेप या उसका हिस्सा उन्हें प्रतिदिन रु. 500/– का किराया देने पर ही सामग्री को उठाने दिया जाएगा।
11. इसके बाद भी यदि सामग्री को एक माह में नहीं उठाया जाता तो इसे छोड़ी गयी सामग्री माना जाएगा तथा इस संबंध में जमा धरोहर राशि तथा अन्य राशि खरीददार को बिना सूचना दिए जब्त कर ली जाएगी। संस्थान को इस प्रकार छोड़ी गई सामग्री को पुनः बेचने का पूरा अधिकार होगा, और इसे परिषद् की परिसंपति माना जाएगा।
12. बिक्री लागत के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति रसीद के बाद ही बेची गई सामग्री की सपूर्दगी की जाएगी।
13. सामग्री की तुलाई, गणना और लदाई भंडार अनुभाग के प्रतिनिधि की मौजूदगी में निविदाकर्ता के सामने ही की जाएगी। इन सभी का प्रबंध खरीदकर्ता को स्वयं करना होगा।
14. जब तक शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक स्टोर संस्थान की संपति होगा। खरीद के भुगतान को पूर्ण निपटान नहीं माना जाएगा और बिक्री प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करने के बाद तथा संस्थान परिसर के भंडार से हटाने के बाद ही सामग्री निविदाकर्ता की संपति होगी।
15. संस्थान परिसर में सामग्री को चुनना, छंटाई की अनुमति नहीं होगी। सामग्री ''जहाँ है–जैसी है और जो है'' के आधार पर है। निविदाकर्ता से निवेदन है कि पहले सामग्री की जांच कर लें तथा रेट सामग्री की प्रत्यक्ष जाँच करने के बाद ही दरें उद्वत करें। निविदाओं के खुलने के बाद किसी प्रकार की शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क एवं करों का भुगतान अलग से करना होगा तथा अधिकतम निविदाकर्ता द्वारा सामग्री से पूर्व इनका भुगतान करना होगा।
17. खरीददार द्वारा मजदूरी, परिवहन एवं अन्य व्यवस्थाएं अपने जोखिम, लागत एवं जिम्मेवारी पर करनी होगी। कार्यालय द्वारा अवार्ड पत्र जारी होने के बाद सामग्री के किसी भी प्रकार से गुम, हानि या खराब होने पर संस्थान का कोई भी दायित्व नहीं होगा।
18. संस्थान को बिना कारण बताए किसी भी समय सामग्री अथवा उसके किसी लॉट की बिक्री को रोकने का अधिकारी है।
19. निविदा में दिए गए पते को निविदाकर्ता का पता माना जाएगा तथा इस पते पर किए गए पत्राचार को संबंध में यह माना जाएगा कि वह बोलीकर्ता को प्राप्त हो गया है।
20. निविदा के संबध में किसी प्रकार का पक्ष प्रचार अवैध माना जाएगा। ऐसी पार्टी की निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।
21. यदि निविदाकर्ता का कोई रिस्तेदार संस्थान में कार्यरत है तो उसे निविदा डालने की अनुमति नहीं होगी।
22. स्वीकृति और कार्य को करने के उद्देश्य के लिए डाली गई निविदा की वैधता 90 दिनों के लिए होगी। 90 दिनों से अधिक की वैधता आपसी सहमति से ही होगी।
23. निविदाकर्ता को दरें अंकों एवं शब्दों दोनों में भरनी होगी। यदि दरों के संबध में कोई मतभेद होगा तो दोनों में से उच्च दर को माना जाएगा।
24. यदि किसी निविदा में कोई मतभेद होता है उसके लिए क्षेत्राधिकार स्थानीय न्यायालय, पालमपुर हिमाचल प्रदेश होगा।
25. निदेशक, सी.एस.आई.आर.–आई.एच.बी.टी पालमपुर को निविदा के सारे या किसी भाग को स्वीकार करने या किसी भाग या पूर्ण निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. सामाग्री की डेलीवेरी लेते समय जो भी जीएसटी / अनय कर उस समय लागू होगा बह खरीदार को सम्मग्री उढ़ाने से पहेले डाइरेक्टर सीएसआईआर आई एच बी टी पालमपुर के अकाउंट मे जमा करवाना होगा ।

एस. ज्ञान प्रकाश राय

नियंत्रक, भंडार तथा क्रय

CSIR-INSTITUTE OF HIMALAYAN BIORESOURCE TECHNOLOGY
PALAMPUR (H.P)

Bid form for unserviceable and Scrap Material

Amount must be written both in words and figures: No

Description	Location of the lots	Bid Amount	Bid Rate	
			In Figures	In Words
Lot.1 Scrap of Mixed Iron, M.S Wire, M.S Electrical fittings/Fixtures, Pieces of Electrical Cables, Angles pieces, barbed wire and all type of iron fabrication etc.	Store & Open yard/campus			

CoSP

Signature of Bidder

Full Name________________

Address__________________

____